न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 55/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/154

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		श्री सांवरसिंह पुत्र श्री नानूसिंह दरोगा निवासी मोडीखुर्द तहसील परबतसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–

1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. सुश्री एलिजा पीपावत वकील अप्रार्थी की ओर से

–ःआदेशः– **दिनांकः 02.12.2024**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 20.09.2024 को श्री विरेन्द्रसिंह जाखड जिला रसद अधिकारी डीडवाना–कुचामन के नेतृत्व में श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक व श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ग्राम विकास अधिकारी रीड के आवास के पास स्थित श्री बायांसा बर्तन भण्डार की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री सावंरसिंह पुत्र श्री नानूसिंह उपस्थित मिलें, जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 32 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 03 रिफिलिंग औजार भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री सावंरसिंह से घरेलू/व्यवसायिक गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर अपने बयानों में बताया कि उक्त सिलेण्डर ग्राम वासियों के [illegible] घर पर छोड़ जाते है और गैस एजेन्सी से आपूर्ति होने पर [illegible] अपने बयानों में कथन किया उनके द्वारा एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में [illegible] का कार्य किया जाता है व घरेलू सिलेण्डर की आपूर्ति उपभोक्ता को करने पर 20 रूपये प्रति सिलेण्डर प्राप्त करना बताया। मौके पर श्री सावंरसिंह के पास किसी भी उपभोक्ता की डायरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:29:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

व अन्य दस्तावेज नहीं होने से भण्डारित / दुरूपयोग किये गये 32 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 03 रिफिलिंग औजार को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर हैः–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	178823	0
2.	इण्डेन	088608–S	0
3.	इण्डेन	554562– T	0
4.	इण्डेन	315134– S	0
5.	इण्डेन	832435– S	0
6.	इण्डेन	036957– S	0
7.	इण्डेन	187025– I	0
8.	इण्डेन	518129– I	0
9.	इण्डेन	143888– S	0
10.	इण्डेन	395192– S	0
11.	इण्डेन	87874	0
12.	इण्डेन	242023– I	0
13.	इण्डेन	90283– A	0
14.	इण्डेन	280420– T	0
15.	इण्डेन	430852– P	0
16.	इण्डेन	451871– S	0
17.	इण्डेन	918742– T	14.2 किग्रा
18.	इण्डेन	853194– S	14.2 किग्रा
19.	इण्डेन	007983– T	5 किग्रा
20.	इण्डेन	00864– J	5 किग्रा
21.	इण्डेन	007860– I	5 किग्रा
22.	इण्डेन	034203– T	5 किग्रा
23.	इण्डेन व्यवसायिक	104250– P	0
24.	भारत गैस व्यवसायिक	007440– T	0
25.	भारत गैस	524506– S	0
26.	भारत गैस	6537– I	0
27.	भारत गैस	226707– T	0
28.	भारत गैस	237866– S	0
29.	भारत गैस	25857	0
30.	भारत गैस	095944– S	0
31.	भारत गैस	168798– S	0
32.	भारत गैस	374331– I	0
33.	भारत गैस	[illegible]	0
34.	भारत गैस	483661–[illegible]	0
35.	03 गैस रिफिलिंग औजार		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:29:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

उपरोक्त 32 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 यवसायिक गैस सिलेण्डर व 03 रिफिलिंग औजार को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स श्री बालाजी भारत गैस भडसियां के प्रतिनिधि श्री लादूराम की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री सांवरसिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 32 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 यवसायिक गैस सिलेण्डर व 03 रिफिलिंग औजार मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील सुश्री एलिजा पीपावत ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री सांवरसिंह के दुकान पर कुल 32 गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 03 रिफलिंग औजार प्राप्त हुए। श्री सांवरसिंह के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व श्री सांवरसिंह ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने परकुल 32 गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 03 रिफलिंग औजार जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मैसर्स श्री बालाजी भारत गैस भडसिया के प्रतिनिधि श्री लादुराम को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेल गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर कुल 32 गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 03 रिफलिंग औजार पाए गए। जांच के समय श्री सांवरसिंह के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण व उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर व पत्रावली में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:29:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में कुल 32 गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस व 03 रिफलिंग औजार का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा कुल 32 गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं 03 रिफलिंग औजार का नियमानुसार कीमतन निस्तारण के आदेश दिये जाते है। निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सैन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:29:48 IST
Reason: SelfAttested